# न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./103/2022

1–ओमप्रकाश ।
2–तुलाराम । पुत्रान लक्ष्मीनारायन जाति ब्राहम्ण निवासी मुखेना तहसील वैर
3–घनश्याम । जिला भरतपुर

..........प्रार्थी0

बनाम

1–राधारमन } पुत्रान सूरजभान जाति ब्राहम्ण निवासी मुखैना तहसील वैर
2–राधवल्लभ
3–श्रीमती निर्मला पत्नी तिमनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मुखैना तहसील वैर ।
4–वीना पुत्री सूरजमभान जाति ब्राहम्ण निवासी मुखैना तहसील वैर जिला भरतपुर

..........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली अन्तर्गत धारा 235 राज. काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध एस.डी.ओ. वैर

----

उपस्थितः–
1–श्री दिनेश शर्मा अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री जितेन्द्र कुमार कर्दम, अभिभाषक अप्रार्थी ,

न्यायालय कलेक्टर एवं जि... भरतपुर (राज.)

**निर्णय** दिनांक 24.01.2023

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. वखिलाफ श्री मनुदेव उपखण्ड अधिकारी वैर इस आशय का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी. ने एक दावा मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश किया हुआ है, पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ.वैर अप्रार्थी. से मिले हुये हैं, प्रकरण में जल्दी जल्दी तारीख पेशी दो दो दिन की दे रहे हैं। तारीख पेशी दिनांक 20.8.2022 को अप्रार्थीगण संख्या 3 के पति चिम्मनलाल पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठ थे तथा मुकदमें के सम्बन्ध में बातचीत कर रहे थे। अप्रार्थी ने गांव में कहा कि मन्त्री से कहलवा दिया है पीठासीन अधिकारी से मेरी बातचीत होगई है, अस्थाई निषेधाज्ञा बहस होते ही वैकेट हो जायेगी। पीठासीन अधिकारी एस.डी.ओ.वैर से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। एस.डी.ओ. न्यायालय में विचाराधीन दावा प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में ट्रांन्सफर किये जाने की प्रार्थना की गई है।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। एस.डी.ओ. वैर से टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एक दावा एस.डी.ओ.वैर न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी. पीठासीन अधिकारी से मिले हुये हैं। अप्रार्थी सख्या तीन के पति को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में प्रकरण के सम्बन्ध में बातचीत करते हुये प्रार्थी ने तारीख पेशी वाले दिन देखा था, तथा अप्रार्थी. ने गांव में भी कह रहा है कि एस.डी. ओ. साहब जारी टी.आई. को हमारे हक में निर्णय करेगें। योग्य अभिभाषक का कहना है कि पीठासीन अधिकारी प्रकरण में अप्रार्थी. के दबाब से दो दो दिन की नजदीकी तारीख पेशीयॉ दे रहे हैं, इससे आभास होगया है कि एस.डी.ओ. वैर से हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारा प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर किसी भी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल कर दिया जावे ताकि हमें न्याय मिल सके।

योग्य अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य दावा एवं प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट विचाराधीन है, प्रार्थना पत्र टी.आई. बहस में विचाराधीन है। पीठासीन अधिकारी दोनों पक्षकारान की सहमति से तारीख पेशी दे रहे हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में झूठे मनगढ़त आरोप लगाये हैं। वकील अप्रार्थी ने नकल प्रतिलिपि आर्डरसीट प्रकरण ओमप्रकाश बनाम राधरमन वगे0 प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट नम्बर 59/2022 की पेश कर बताया कि तारीख पेशीयां काफी लम्बी दी जारही हैं। प्रार्थी ने केवल एस.डी.ओ. न्यायालय में विचाराधीन दावा वगे. को देरीना करने के मकसद से लगाया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रार्थी ने अपने कथनों /आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है। जिससे उसके कथनों की पुष्टी होती हो। नजदीकी तारीखी पेशी के आरोप के सम्बन्ध में अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल प्रतिलिपि आर्डरसीट प्रकरण ओमप्रकाश बनाम राधरमन वगे0 प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट नम्बर 59/2022 के अवलोकन से जाहिर है कि तारीख पेशी दिनांक 4.5. 2022 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.5.2022 नियत की गई है, इसके बाद दिनांक 20.5.2022 को आगामी तारीख पेशी 1.7.22 दी गई है, तारीख पेशी दिनांक 1.7.22 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.7.22 उभय पक्षकारान अभिभाषक की उपस्थिति में दी गई हैं, अतः प्रार्थी का यह कहना कि पीठासीन अधिकारी ने दबाब में दो दो दिन की तारीख पेशी देरहे हैं स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने की नियत करने की नियत से दिया गया है।

.......3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

(3)

प्रा.पत्र मुन्त./103/2022

ओमप्रकाश वगै0 बनाम राधारमन वगै0

आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 437 :–

Rajasthan Tencancy Act 1995 Sec. 233 Transfer petition-No hurriedness shown by the presiding officer- Application of non-petitioners for appointing commisssioner dismissed by the Court- No proof produced in support of allegations & the allegations levelled are of common nature- No afficdavit of independent witness produced - Application is filed with presumption & appreshension- Held' Transfer Petition is unfounded & liable to be rejected

अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24–01–2023 को सुनाया गया।

( आलोक रंजन )
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)